निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर(राज.)

प्रकरण संख्या 09/2022 (राजस्व अपील)

1. छोटू पुत्र मंगला
2. राधेश्याम पुत्र मंगला
3. राम दयाल पुत्र मंगला

समस्त जाति अहीर, निवासी बेगस, तहसील व जिला जयपुर ।,

अपीलार्थी

1. अन्जू देवी पुत्री कानाराम
2. किशनी पत्नी लक्ष्मण
3. गणेश पुत्र रामू
4. गुलाब देवी पत्नी जीवण
5. चन्दा देवी पुत्री कानाराम
6. छीतर पुत्र गोपी
7. छोटू पुत्र मंगला
8. नारायण पुत्र जीवण
9. बालू पुत्र मंगला
10. बोदू पुत्र मंगला
11. मंजू देवी पुत्री कानाराम
12. मनभर देवी पत्नी कानाराम
13. रामकिशोर पुत्र जीवण
14. लालाराम पुत्र लक्ष्मण
15. श्योदान पुत्र रामकुंवार
16. संतोष देवी पुत्री कानाराम
17. सीताराम पुत्र जीवण
18. हनुमान पुत्र लक्ष्मण
19. हंसा देवी पत्नी सत्यनारायण
20. हुक्मा पुत्र मंगला

समस्त जाति अहीर, निवासी बेगस, तहसील व जिला जयपुर

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीदार जयपुर जिला जयपुर ।
22. राम किशोर पुत्र भैरू राम यादव, निवासी मैला की ढाणी, ग्राम बेगस, तहसील जयपुर ।

प्रत्यर्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार जयपुर आदेश कमांक भू.अ./4022/

दिनांक 15.12.2021

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थितः–

1. श्री राजकुमार गठाला अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री सुरेश यादव अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 4, 6 से 9, 13, ,16 व 22 की ओर से ।
3. श्री पी॰ के॰ मीणा अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 15 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.03.2023

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार जयपुर के आदेश कमांक भू.अ./4022/ दिनांक 15.12.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये । तहत रिकार्ड तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 4, 6 से 9, 13, ,16 व 22 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश यादव एवं प्रत्यर्थी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री पी॰के॰मीणा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व ग्राम बेगस तहसील व जिला जयपुर के गत खसरा नम्बर 43 रकबा 8 बीघा जिसमे से पोखर पुत्र भूरा ने भैरू पुत्र लच्छा जाति अहीर को 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का सन् 1964 में बेचान कर दिया था जिसके अलग खसरा नम्बर 43/945 नामान्तरकरण संख्या 144 दिनाक 01.08.1964 द्वारा तस्दीक किया गया । जिसकी मूल नक्शा शीट में तरमीम नहीं की गई वर्ष 1964 से आज दिनांक तक नक्शा मूल खसरा नम्बर 43 दर्शाया जा रहा है, परन्तु वर्ष 2019 में ग्रीगेशन रिकार्ड तैयार करते वक्त वन टू वन मैपिंग तत्कालीन पटवारी व गिरदावर ने मौका कब्जा व विक्रय की गई भूमि के अनुसार नहीं कर वर्ष 1964 से चालू रास्ते को बन्दी कर तरमीम सही जगह पर नहीं की। तत्कालीन पटवारी ने तथ्य छिपा कर एक पक्षीय लाभ पहुंचा कर अपनी मर्जी से गलत तरमीम की गई थी। खसरा नम्बर 43 की तरमीम जहां कब्जा एवं रास्ता है वहा तरमीम करवाया जाना उचित होगा। खसरा नम्बर 43 व 43/945 ग्राम बेगस की तरमीम शुद्वि करवा कर रास्ता चालू करवाने की कृपा करे। खसरा नम्बर 43/945 की तरमीम जहां की गई है इससे आगे आने जाने वाले खातेदारों का व ढाणी का रास्ता भी अवरूद्व हो गया है । अतः आप ग्राम बेगस के खसरा नम्बर43 की तरमीम को नजरी नक्शा अनुसार करने की कृपा करे। इस आशय का आवेदन रेस्पोडेन्ट छीतर व गणेश द्वारा प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन रेस्पोडेन्ट छीतर व गणेश द्वारा कैम्प कोर्ट सरना डूंगर में प्रस्तुत कर अपनी मन मर्जी माफिक नक्शा तरमीम करवा लिया। उक्त नक्शा तरमीम करने से पूर्व ना तो अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सुनवाई हेतु सूचना नोटिस ही प्रदत्त किया गया तथा ना ही मौके की जांच की गई। उक्त अविधिक आदेश से व्यथित हो कर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत है। अपीलाधीन आदेश स्वीकृत करने से पूर्व तहसीलदार जयपुर ने न तो अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया, सुनवाई का मौका नहीं दिया, साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया। इस प्रकार तहसीलदार जयपुर द्वारा उक्त तरमीम प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्वान्तों के विपरीत होने से, कोई विधिक महत्व, विधिक अस्तित्व, विधिक मान्यता, विधिक प्रभाव एवं विधिक महत्व नहीं है, बल्कि गैर कानूनी होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। रेस्पोडेन्ट का उक्त तरमीमशुदा आराजी से किसी प्रकार का कोई समर्थन व सरोकार नही है। इस कारण भी अपीलाधीन तरमीम

जिला कलक्टर
जयपुर

निरस्त किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का ने उक्त रिपोर्ट अपनी मन मर्जी एवं रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट गणेश व छीतर के कहे अनुसार बिना मौका की जांच किये ही उक्त रिपोर्ट तैयार की गई। पटवारी हल्का द्वारा उक्त रिपोर्ट अपने कार्यालय में बैठ कर ही तैयार की गई है। रेस्पोडेन्ट गणेश व छीतर ने एक तरफ तो उक्त भूमि में से रास्ता होना बताया है और एक तरफ उक्त रास्ते की भूमि को तरमीमशुदा कर भूमि में रास्ते का अंकन ही नहीं करवाया है। जबकि मौके पर न तो पूर्व से कभी कोई रास्ता मौजूद था, ना ही वर्तमान में कोई रास्ता मौजूद है । उक्त तरमीम मात्र अपीलाट की कब्जेशुदा भूमि को हड़प करने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट छीतर व गणेश ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ गाठ कर बनवाई है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त तरमीम आदेश राजस्व कैम्प कोर्ट सरना डूंगर में किये गये है जबकि उक्त ग्राम बेगस में भी कैम्प कोर्ट लगा था, परन्तु उक्त आदेश कैम्प कोर्ट बेगस में नहीं कर कैम्प कोर्ट सरना डूंगर में किया है जो उक्त ग्राम से लगभग 20 किलो मीटर की दूरी पर है जिससे भी साबित है कि उक्त कार्यवाही मिलीभत व साज पूर्वक तरीके से की गई है । इसिलए भी उक्त आदेश निरस्तनीय है। राजस्व कैम्प कोर्ट प्रशासन गावों के संग अभियान में कोई भी निर्णय या आदेश पारित केवल मात्र पक्षकारान की सहमति से उनकी उपस्थिति मे ही किया जाना होता है, परन्तु उक्त आदेश/तरमीम करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार की कोई सूचना नोटिस प्रदत्त नहीं किया गया और ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त कार्यवाही मात्र रेस्पोडेन्ट छीतर व गणेश को नाजायज लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। विधि का यह सुव्यवस्थति सिद्धान्त है कि किसी भी कृषि भूमि का अन्तरण विधि द्वारा निहित विधिक प्रक्रिया द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है, परन्तु रेस्पोडेन्ट व राजस्व कारकुनान ने साज कर उक्त भूमि की तरमीम गलत तरीके से की गई है। दिनांक 02.02.2022 को रेस्पोडेन्ट छीतर व गणेश द्वारा अपीलान्ट को धमकी भरे वाक्यात में कहा गया कि हमारी जमीन खाली कर दो । उक्त जमीन की तरमीम नक्शे में हमने नये तरीके से करा ली है । अब उक्त तरमीम शुदा भूमि पर हम कब्जा करके रहेंगे। जिस पर अपीलान्ट ने उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है। आराजी जैर कृषि भूमि की तरमीम करने से पूर्व प्रभावित होने वाले सभी पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था, परन्तु बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन तरमीम की कार्यवाही गुपचुप में की गई है। इसलिए उक्त तरमीम आदेश अपीलान्ट के विरूद्ध क्लेदम एवं बे असर एवं प्रभाव शून्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2021 को अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

4. प्रत्यर्थी संख्या 6 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि ग्राम बेगस तहसील जयपुर के गत खसरा नम्बर 43 जिसका रकबा 8 बीघा था, जिसमें से पोखर पुत्र भूरा ने भैरू पुत्र लच्छा जाति अहीर को 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का सन् 1964 में बेचान कर दिया था जिसका अमल नामान्तरकरण संख्या 144 निर्णय दिनांक 01.08.1964 को राजस्व रिकार्ड में हुआ है। मूल खसरा नम्बर 43 में से नवीन खसरा नम्बर 43 व 43/945 बने है। नक्शा रिकार्ड में खसरा नम्बर 43 व 43/945 की तरमीम वर्ष 2019 तक नहीं की गई थी तथा मौके पर अलग अलग काश्त व काबिज रहे है। वर्ष 2019 में भू अभिलेख का आन लाईन करने पर सैग्रीगेशन रिकार्ड तैयार करते वक्त वन टू वन मैपिंग में तत्कालीन पटवारी व गिदावर ने मौका कब्जा एवं विक्रय की गई भूमि के अनुसार नही करके वर्ष 1964 से चालू रास्ते को बन्द कर गलत इन्द्राज

जिला कलक्टर
जयपुर

कर तरमीम सही जगह नहीं की गई। तत्कालीन पटवारी ने तथ्य छुपाकर एक पक्षीय लाभ पहुंचा कर अपनी मनमर्जी से गलत तरमीम कर दी जिसे दुरस्त करने क लिए प्रशासन गावों के संग अभियान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पटवारी व गिरदावर से जांच करा कर प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अपीलाधीन आदेश से सही तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधि सम्मत है। वैसे भी अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इसलिए अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

6. सर्वप्रथम हम अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

7. प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प सरना डूंगर में प्राप्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 15.12.2021 को अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जाकर राजस्व रिकार्ड के नक्शा में परिवर्तन किया गया है। राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किये जाने से पूर्व संबंधित पक्षकारान/खातेदारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक है। बिना प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये रिकार्ड में किसी प्रकार का रद्दो बदल नहीं किया जा सकता है, इस मामले में भी दूसरे पक्षकार को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता । फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

8. तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक भू.अ./4022/ दिनांक 15.12.2021 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार जयपुर को मय तहत रिकार्ड प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 09.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर